न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—51 / 2023 / 223 आर.टी.एक्ट (2023 / 51)

1. श्री भालु पिता स्व0 श्री देवा जाति गुर्जर मृतक जरिए वारिसान
   1 / 1 भेरू पुत्र भालु
   1 / 2 राधा पुत्री भालु पत्नि श्री नारायण
   जाति गुर्जर निवासी मोटरास तहसील हुरडा जिला—भीलवाडा
2. श्री गंभीरा पिता स्व0 श्री गंगाराम जाति गुर्जर
3. श्री गणेश पिता स्व0 श्री गंगाराम जाति गुर्जर
4. श्री नारायण पुत्र श्री नानू राम मृतक जरिए वारिसान
   4 / 1 सुनील पुत्र श्री नारायण
   4 / 2 राजू पुत्र श्री नारायण
   4 / 3 रामू पत्नि श्री नारायण
5. श्री धर्मीचन्द पिता स्व0 श्री नानूराम जाति गुर्जर
6. श्री कल्याण पुत्र स्व0 श्री पूसा जाति गुर्जर
7. श्री रामलाल पुत्र स्व0 श्री पूसा जाति गुर्जर
8. श्री सोनाथ पुत्र स्व0 श्री पूसा जाति गुर्जर
9. श्री रघुनाथ पुत्र स्व0 श्री पूसा जाति गुर्जर
10. श्री तेजू उर्फ तेजमल पुत्र स्व0 श्री पूसा जाति गुर्जर
    समस्त निवासीयान ग्राम खूंटिया तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिजयनगर, जिला अजमेर।
2. सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 राजस्व वाद संख्या 86 / 15

उपस्थितः—

1. श्री वैभव कृष्ण पारीक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः—06.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 86 / 15 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर

प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 17.11.2022 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 86/15 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी तथा अपीलीय न्यायालय ने विवादित निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से कोई नोटिस प्रदान नहीं किया था तथा प्रार्थीगण के अभिभाषक ने भी प्रार्थीगण को कोई सूचना प्रदान नहीं की इसीलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 23/12/22 को हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण को बताया कि तुम्हारे विरूद्ध मसूदा से निर्णय हो गया है, तो प्रार्थी ने उसी दिन मसूदा गया और जानकारी प्राप्त की तो प्रार्थीगण को जानकारी प्राप्त हुई कि उसके विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17/11/22 को पारित की गयी जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने दिनांक 23/12/22 को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल दिनांक 04/01/23 को प्रार्थीगण को प्राप्त हुई तथा उसके पश्चात प्रार्थीगण अपने गांव गया तथा रुपये पैसे का इंतजाम कर अजमेर आया तथा अजमेर आकर अभिभाषक से मिला और बिना किसी विलम्ब के न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। उपरोक्त देरी सद्भाविक तौर पर हुई है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी इसीलिए प्रार्थीगण जानकारी के आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं इसीलिए अपील को दिनांक 17.11.2022 से 02.01.2023 तक का समय माफ किया जाये तथा जानकारी के आधार पर अपील को अन्दर मयाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना अति आवश्यक है। जिससे प्रार्थीगण को उचित न्याय की प्राप्ति हो सके। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस कारण से वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे को खारिज करने का आदेश प्रदान किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार करना चाहिए था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वादीगण अपीलान्टस के पूर्वज देवा पुत्र हमीरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड संवत 2018 से 2021 में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है, उक्त साबिक खसरान के हाल खसरा नंबर 52 बने है, जिस पर वादीगण अपीलान्टस के पूर्वज के समय से ही आज दिन तक वादीगण अपीलान्टस ही काश्त करते आ रहे है। इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री करना चाहिए था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण अपीलान्टस ने सजरा वाद पत्र की धरण संख्या 2 में अंकित किया था कि विवादित आराजियात के नये नंबर कायम किये जाकर हाल खसरा नंबर 52 कायम कर विवादित आराजी सिचाई विभाग के नाम दर्ज कर दी गई है, जो कि पूर्णतः अवैध है और वादीगण अपीलान्टस के मुकाबले बेअसर है। इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री करना चाहिए था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण अपीलान्टस का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 66/165 दिनांक 01.07.1967 को आदेश दिया कि वादीगण अपीलान्टस के नाम उक्त आराजी खातेदारी काश्तकारी के रूप में दर्ज कर दी जावे तथा वादीगण अपीलान्टस ने समय–समय पर राजस्व शिविरों में एवं तहसीलदार को बार–बार कहते रहे फिर भी वादीगण अपीलान्टस के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई इसीलिए वादीगण अपीलान्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वादीगण अपीलान्टस को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण अपीलान्टस के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक मूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण अपीलान्टस ने दावे में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित कर दिये थे तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत कर दिये थे, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्टस संख्या 02 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया था तो अधीनस्थ न्यायालय को दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीया बत्तानी चाहिए थी तथा उसके पश्चात् दोनों पक्षकारों के दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर तनकीयों का निर्णय दस्वोजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर करना चाहिए था। इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय कानूनी प्रावधानों की पूर्णतः अवेहलना की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी प्रावधानों के अनुसार दावे का निर्णय करना

चाहिए था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित्त आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 80 सी. पी. सी. को आधार मानकर विवादित निर्णय प्रदान किया गया है, यह तथ्य पूर्णतः कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी प्रावधानों के अनुसार दावे का निर्णय करना चाहिए था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वाद कारण उत्पन्न नहीं है जबकि वादीगण अपीलान्टस ने अपने दावे में वाद कारण पूर्णतः अंकित किया था। इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी प्रावधानों के अनुसार दावे का निर्णय करना चाहिए था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादित खसरा नम्बर 1857 लगायत 1864 एवं 1902, 1916 से 1918 एवं 1914/2283 कुल कित्ता 13 रकबा 290 ऐयर ग्राम सेवरकला एवं खसरा नम्बर 1999/73 ऐयर वाके ग्राम सेवरकला में स्थित है इसीलिए वादीगण अपीलान्टस को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण अपीलान्टस के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय में वादी संख्या 01 भालु की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारीसान अपीलान्ट संख्या 1/1 व 1/2 को पक्षकार बनाकर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है तथा वादी संख्या 04 श्रीमती भीलू की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीसान रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 है जिसमें से वादी अपीलान्ट संख्या 05 नारायण की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारीसान रेस्पोडेन्टस संख्या 4/1 लगायत 4/3 है। उसके वारिसों को पक्षकार बनाकर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 86/15 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2024 आरबीजे 48, 2023 आरबीजे 297 प्रस्तुत किए गए हैं।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि विवादित भूमि सिंचाई विभाग के नाम सरकारी खाते में दर्ज है, खसरा नम्बर 52 संपूर्ण नारायण सागर बांध का पेटा है जिन खातेदार काश्तकारों की भूमि नारायण सागर बांध में अवाप्त हुई उन्हें तत्कालिन समय में मौजा जालिया द्वितीय या खूंटिया में भूमियां प्रदान की गई है। विवादित भूमि काफी समय पूर्व ही सिंचाई विभाग के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिए बिना घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 17.11.2022 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में विवादित आराजीयात देवा वल्द हमीरा के नाम दर्ज है। परंतु हाल राजस्व रिकार्ड वर्किंग जमाबंदी 2041 में उक्त आराजीयात सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। विवादित आराजीयात में खसरा नम्बर 52 रकबा 98 बीघा 2 बिस्वा रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज है। अपीलांट ने विवादित भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त होने के आधार पर विवादित आराजीयात में खातेदार/काश्तकार घोषित किए जाने का वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण/अपीलांट द्वारा कब्जे के संबंध में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया कि खसरा नम्बर 52 संपूर्ण नारायण सागर बांध का पेटा है। जिन खातेदारों/काश्तकारों की भूमि नारायण सागर बांध में अवाप्त हुई उन्हें तत्कालीन समय में मौजा जालिया द्वितीय या खूंटिया में एवजी भूमियां प्रदान की गई थी। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांट का उक्त आराजीयात में हक हिस्सा निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 86/15 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर